

संख्या 828/68-5-2022-193/2021

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

विषय:- परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अंतर्गत रसोईयों के मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ रसोईयों को ड्रेस दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ०प्र० के पत्र सं० शि०नि०बे० /नियोजन/43480/2021-22 दिनांक 03.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2022-23 से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में रू० 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी करते हुए रू० 9000/- (रूपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह (वर्ष में 11 माह के लिये) करने तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अंतर्गत रसोईयों के मानदेय में रू० 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) की वृद्धि करते हुए रू० 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) प्रतिमाह (वर्ष में 10 माह के लिये) करने एवं रसोईयों को वर्ष में एक बार 02 ड्रेस साड़ी/पैट-शर्ट के लिए रू० 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) उनके खाते में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुसार तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या- 828(1)/68-5-2022-193/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनु०-4, उ०प्र० शासन।
3. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर०वी० सिंह)
विशेष सचिव।